(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1151 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 246/अपील/2014-15.

बृजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री तखतसिंह
निवासी ग्राम परसौरा, तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

कमलाबाई पत्नी श्री गजराजसिंह
निवासी ग्राम परसौरा, हाल निवासी गोरखी,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री सईद कमर खान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम परसौरा, तहसील बेगमगंज के खसरा क्रमांक 190, 191/2 एवं 206/79 तथा ग्राम नैन विलास के खसरा क्र. 260 एवं 28 कुल किता 5 रकबा 16.87 एकड़ भूमि आवेदक एवं अनावेदिका के पिता नाम दर्ज थी। पिता की मृत्यु होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 148/अ-6/11-12 दर्ज कर दिनांक 20.04.2012 आवेदक को एकमात्र वारिस मानते हुए आवेदक के हक में फौती नामांतरण किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2014 से अपील स्वीकार की जाकर आवेदक एवं अनावेदिका के नाम समान भाग पर नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तखतसिंह द्वारा दो शादी की गई थीं, पहली पत्नी से आवेदक तथा दूसरी पत्नी के साथ लमेटा के रूप में अनावेदिका आई थी। इस कारण अनावेदिका का उसके पूर्व पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनता है न कि मां द्वारा दूसरी शादी करने के बाद उसके पति की संपत्ति में कोई अधिकार है। इसके बाद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनावेदिका को पुत्री मानकर वैधानिक भूल की है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे कि प्रमाणित हो कि अनावेदिका, आवेदक की बहन है।

(3) अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने इस विचारणीय बिंदुकी ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वह तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। इस कारण अनावेदिका को अपील की अनुमति का आवेदन पत्र पेश करना चाहिए था।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा जो फौती नामांतरण में पंचनामा पेश किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो पंचनामा बना कर दिया, जिससे प्रमाणित होता है कि अनावेदिका, आवेदक की बहन नहीं है तथा तखतसिंह का एकमात्र पुत्र आवेदक है, इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर प्रमाण के ही अपील निरस्त करने में वैधानिक भूल की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि शादी वाली पत्नी से कौन सी संतान है तथा दूसरी पत्नी से कौन सी संतान है, इस बिंदु का निराकरण किए बिना ही आदेश पारित किया है, जो कि निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम परसौरा में पदमसिंह व तखतसिंह पिता रघुनाथ सिंह के स्वत्व व आधिपत्य में भूमि खसरा क्र. 190, 191/2, 206/79 तथा नेन विलास में खसरा क्र. 260 कुल किता 5 कुल रकबा 16.87 एकड़ थी। उक्त भूमि में पदमसिंह का हिस्सा 1/2 तथा तखतसिंह का हिस्सा 1/2 भाग था।

(2) अनावेदिका तखतसिंह की विवाहित पत्नी कस्तूरी बाई की संतान है। आवेदक तखतसिंह की द्वितीय (कराब) वाली पत्नी से उत्पन्न संतान है। आवेदक न्यायालय को भ्रमित कर रहा है।

(3) तखतसिंह की मृत्यु उपरांत आवेदक ने झूठा शपथ पत्र व हल्का पटवारी ने असत्य प्रतिवेदन इस बात का तहसील, बेगमगंज में प्रस्तुत किया कि तखतसिंह की एकमा संतान आवेदक है। नामांतरण के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार ने एवं अनुविभागीय अधिकारी ने झूठा शपथ पत्र एवं गलत प्रतिवेदन हल्का पटवारी द्वारा दिए जाने से इनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की मंशा जाहिर की है।

(4) तहसीलदार द्वारा गलत नामांतरण के विरूद्ध तखतसिंह की वैध वारिस विवाहिता पत्नी कस्तूरीबाई की पुत्री कमलाबाई ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। गलत आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुति हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदेश को चैलेंज किया जा सकता है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी ने पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 में अनावेदिका को तखतसिंह की विवाहिता पत्नी कस्तूरीबाई की संतान मानकर तखतसिंह की दोनों ग्रामों परसौरा व नैन विलास की भूमि में से 1/2 भाग अनावेदिका एवं 1/2 भाग आवेदक जो कि तखतसिंह की कराब वाली पत्नी द्रोपती बाई की संतान मानकर आदेश पारित किया है, जो विधि अनुकूल है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन में तहसील द्वारा दोनों ग्राम परसौरा व नैन विलास की भूमियों का रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर तखतसिंह की भूमि में 1/2 भाग आवेदक एवं 1/2 भाग अनावेदिका के नाम किया जा चुका है।

(6) आवेदक ने असत्य आधार पर स्वयं को स्व. तखतसिंह की विवाहिता पत्नी की संतान बतलाकर फर्जी नामांतरण कराया था, जिसके विरूद्ध अनावेदिका की प्रथम अपील स्वीकार होने के उपरांत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 14.11.2017 को अस्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा, जिसके विरूद्ध वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(7) आवेदक द्वारा दो आधार निगरानी में उठाये गये हैं, जिसमें प्रथम यह है कि अनावेदिका ने अपील पेश करने हेतु अनुमति नहीं ली, किंतु अनावेदिका स्व. तखत सिंह की विवाहिता पत्नी कस्तूरी बाई की संतान है, तथाकथित नामांतरण की किसी भी माध्यम से उसे जानकारी नहीं दी गई और ना ही इश्तहार का प्रकाशन किया गया। इस प्रकार तथाकथित नामांतरण के विरूद्ध अपील हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है तथा दूसरा आधार यह है कि आवेदक विवाहिता पत्नी द्रोपती बाई की संतान है, यह पूर्णतः असत्य है। वास्तविकता यह है कि अनावेदिका स्व. तखतसिंह की विवाहिता पत्नी कस्तूरी बाई से उत्पन्न संतान है। आवेदक ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो कि वह विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान है।

अतः उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तखत सिंह द्वारा दो शादियां की गई थी तथा दोनों पत्नियों से एक-एक संतान आवेदक एवं अनावेदक उत्पन्न हुईं। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को दोनों को वारिस मानते हुए नामांतरण करना था, किंतु उनके द्वारा केवल आवेदक को एकमात्र वारिस मानते हुए नामांतरण किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर